उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन, कालाकांकर हाउस,
पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

आदेश

प्राधिकरण के पत्रांक 10460 / सेपरेट एकाउन्ट / एफएण्डए / 2020–21 दिनांक 24.12.2020 द्वारा "Real Estate Project (Maintenance and Operation of Separate Bank account) Revised Directions, 2020" के आदेश किये गये हैं। उक्त आदेश के प्रस्तर–3 (F) के अनुसार प्राधिकरण में पंजीकृत परियोजनाओं को कलेक्शन एकाउन्ट, सेपरेट एकाउन्ट एवं ट्रान्जैक्शन एकाउन्ट की सूचना एवं आदेश में निर्दिष्ट अभिलेख प्राधिकरण के वेबसाइट पर दिनांक 21 मार्च, 2021 तक अपलोड किये जाने का प्राविधान है।

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन प्रवर्तकों द्वारा अपनी परियोजनाओं का पंजीकरण उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में 01 अप्रैल, 2021 अथवा उसके उपरान्त कराया जाएगा, उनको उपर्युक्त आदेश में वर्णित तीनों एकाउन्ट का विवरण एवं अभिलेख आदि प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर / प्राधिकरण को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। किन्तु जो परियोजनायें दिनांक 01 अप्रैल, 2021 के पूर्व उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में पंजीकृत हो चुकी है, उनके सम्बन्ध में उपर्युक्त सन्दर्भित आदेश में वर्णित 'सेपरेट एकाउन्ट ऑफ प्रोजेक्ट' सम्बन्धी प्राविधान मात्र ही लागू रहेंगें; अर्थात उन परियोजनाओं के सम्बन्ध में क्लेक्शन एकाउन्ट एवं ट्रान्जैक्शन एकाउन्ट का विवरण एवं अभिलेख उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं होगा। दिनांक 01 अप्रैल, 2021 के पूर्व की पंजीकृत परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रवर्तकों द्वारा आवंटियों से प्राप्त समस्त धनराशि में से जी0एस0टी0 की धनराशि घटाकर शेष धनराशि का 70 प्रतिशत सेपरेट एकाउन्ट में जमा किया जाएगा।

आदेश संख्या 10460 / सेपरेट एकाउन्ट / एफएण्डए / 2020–21 दिनांक 24.12.2020 के अन्य प्राविधान यथावत लागू रहेंगें।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगें।

(राजेश कुमार त्यागी)
सचिव

पत्रांकः 3287 / सेपरेट एकाउन्ट / एफएण्डए / 2021–22 दिनांक 13/04/2021-22

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 रेरा
2 मा0 समस्त सदस्यगण, उ0प्र0 रेरा
3 प्रधान सचिव, आवासन एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन
4 प्रधान सचिव, औद्योगिक विकास, उ0प्र0 शासन
5 प्रमुख सलाहकार, उ0प्र0 रेरा
6 समस्त सक्षम प्राधिकरण, उ0प्र0
7 न्याय निर्णायक अधिकारी, उ0प्र0 रेरा
8 वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 रेरा
9 समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0 रेरा
10 सहायक निदेशक (सिस्टम) को उक्त आदेश को प्राधिकरण के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11 परियोजना प्रबन्धन यूनिट (पी.एम.यू.), उ0प्र0 रेरा
12 उ0प्र0 रेरा में पंजीकृत समस्त प्रवर्तक

(राजेश कुमार त्यागी)
सचिव